न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 145/2015 दायर दिनांक–18.08.2015

1. रिछपाल पुत्र हणमानाराम जाति माली निवासी ढाणी बागोरिया की तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– आवेदक

– :: बनाम ::–

1. झाबरराम पुत्र हणमानाराम जाति माली निवासी ढाणी बागोरियां की तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री विप्लव पंडित
वकील अनावेदक :– श्री किशोर कुमार जांगिड़

प्रार्थना पत्र अं0 आ0 212(2) आर.टी.एक्ट

–:: आदेश ::–

दिनांक 24.07.2024

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– दावा उनवानी प्रभातराम आदि बनाम झाबरराम आदि न्यायालय में चल रहा है जिसमें आवेदक वादी नं0 3 है जिसके मुकदमा नं0 119/11 है। दावा मजबूत कानूनी और दस्तावेजों पर आधारित है जिसमें सफलता आवेदक की निश्चित है।

भूमि खसरा नम्बर 1214, 1216, 1217, 1218, 1220, 1221, 1222, 1223, 1228 कुल किता 9 कुल रकबा 2.95 है0 ग्राम बागोरियां की ढाणी पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित है जिसका आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा।

आवेदक और अनावेदक दोनो सगे भाई है जिनके तीन भाई प्रभात, रामचंद्र व सांवरमल है। इस प्रकार आवेदक के पिता हणमान के पांच पुत्र है एक बहन मेवा देवी है। आवेदक की माता बिदामी देवी मौजूद है, वादग्रस्त जमीन आवेदक और अनावेदक की पैतृक जमीन है जिसमें आवेदक के पिता हणमान के पांच पुत्रो, एक पुत्री एक पत्नि सातों का बराबर बराबर हक हकूक है व कब्जा काश्त भी इसी प्रकार है तथा राजस्व रिकॉर्ड भी इसी प्रकार बना हुआ है।

विवादग्रस्त जमीन में एक कुआं विधुत कनेक्शन सहित है जिसमें हणमान के सातों वारिसों का बराबर बराबर हक हकूक है तथा बराबर बराबर ही सिंचाई के लिए पानी लेते है सभी हकदार वादग्रस्त जमीन में अपने मकान बनाकर बसे हुए है। आने जाने का वादग्रस्त जमीन में रास्ता बना रखा है चालीस साल पूर्व आवेदक का भाई प्रभात और रामचंद्र अलग हो गये थे। उस समय पिता हणमानाराम ने 1/7 हिस्से की जमीन अपनी पांती में रखी थी जिसको पिता हणमानराम अपने जीवनकाल में काश्त करते रहे। पिता की मृत्यु के बाद माता बिदामी देवी जमीन काश्त करने लगी भाई प्रभात और रामचंद्र के अलग होने के एक वर्ष बाद भाई झाबर अनावेदक भी अलग हो गया था तथा अपने हिस्से 1/7 को काश्त करने लग गया। अब भी 1/7 हिस्से को काश्त कर रहा है तथा उसी में अपना मकान बनाकर रहता है।

अनावेदक की नियत खराब है जो सामाजिक जिम्मेदारियों को भी नही निभाता है तथा उसके पुत्र भी बड़े हो गये है जो बदमाशी के बल पर 1/7 हिस्से से ज्यादा जमीन पर लठ के बल पर कब्जा करने के लिए अमादा है जिसको रोकने के लिए आवेदक ने एक प्रा0 पत्र धारा 212 राज0 का0 अधिनियम का मा0 न्यायालय में पेश किया हुआ है जिसके नम्बर 207/2014 है जिसमें अनावेदक को स्टे ऑर्डर से पाबंद भी किया हुआ है। परन्तु अनावेदक स्टे ऑर्डर की परवाह नही कर रहा है तथा स्टे ऑर्डर की खुले आम अवहेलना करके तोहिन की है जिसके कारण अनावेदक झाबरराम के विरूद्व आवेदक ने माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करके तोहिन की है जिसके कारण अनावेदक झाबरराम के विरूद्व आवेदक ने माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने के जुर्म की सजा दिलाने हेतु ऑर्डर 39 नियम 2 ए सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है जिसके नम्बर 33/2015 है। इस प्रकार अनावेदक द्वारा माननीय न्यायालय क आदेश नही मानने पर आवेदक द्वारा समस्त कानुनी प्रक्रियाये अपना ली गई है इसके बावजूद

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

भी अनावेदक अपनी नाजायज हरकतों से बाज नही आ रहा है तथा लगातार न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहा है जिससे खुले आम न्यायालय के आदेश की तोहिन हो रही है। तथा आवेदक की जमीन पर अनावेदक जबरदस्ती कानून को हाथ में लेकर लठ के बल पर कब्जा करने के लिए तत्पर है। आवेदक शांतिप्रिय कानून को मानने वाला व्यक्ति है जिसकी मजबूरी का अनावेदक नाजायज लाभ लेने की चेष्टा मे है। इसलिए जानबूझकर अनावेदक न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहा है। इसलिए वादग्रस्त जमीन के 1/7 हिस्से को जिस पर अनावेदक झाबरराम काबिज है और मकान बना रखे है उस हिस्से को कुर्क किया जाकर राज हक में लिया जावे जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे। अनावेदक द्वारा अदालत के आदेश की तोहिन नही हो तथा आवेदक के हक की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नही करे। इसलिए धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त जमीन के 1/7 हिस्से को राज हक में लिया जाना न्याय संगत है। आवेदक का प्राईमाफैसी मजबूत मामला है व सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है अगर आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार नही होता है तो आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी। अनावेदक द्वारा स्टे ऑर्डर की पालना नही की जा रही है इसलिए कानून की मंशा के मूताबिक भूमि को राज हक के कब्जे में लिया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे वादग्रस्त भूमि के 1/7 हिस्से को राजहक में लिया जाकर रिसिवर नियुक्त किया जावे।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक जारी की गई। अनावेदक संख्या 01 की ओर से वकील श्री किशोर कुमार जांगिड़ उपस्थित न्यायालय आये तथा आवेदक के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस पेश किया कि :– आवेदक का यह कथन गलत है कि हनुमानराम के सभी वारिसानों का वादग्रस्त आराजी में बराबर बराबर हक हकूक है व कब्जा काश्त है। जबकि वादी नम्बर 5 व 6 का वादग्रस्त आराजी में कोई हक व हिस्सा है। वादग्रस्त आराजी स्व0 हनुमानराम के कब्जे काश्त की भूमि थी। हनुमानराम ने काफी वर्ष पूर्व ही अपने कब्जे काश्त की भूमि का बंटवारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त सुपूर्द कर दिया था। और हनुमानराम ने अपना संपूर्ण हिस्सा अपने पुत्रों के पक्ष में अपने जीवनकाल में ही त्याग दिया था तब से लेकर आज तक हनुमानराम के पुत्र वादी नं0 1 लगायत 4 व प्रतिवादी नं0 1 वादग्रस्त आराजी के बराबर बराबर काश्त करते है और मौके पर अलग अलग सीमा बनी हुई है। वादी नं0 5 व 6 का वादग्रस्त आराजी के किसी भी भाग पर कोई कब्जा काश्त नही है बिना कब्जे काश्त की जांच किये वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी नं0 5 व 6 का नाम गलत दर्ज कर दिया गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर किसी को कोई हक अधिकार नही मिलते है। राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु काउण्टर क्लेम पेश किया है।

वादग्रस्त भूमि में एक कुआ विधुत कनेक्शन सहित होना स्वीकार है परन्तु उसमें हनुमान के सभी वारिसानों का हक व हिस्सा होना कतई स्वीकार नही है। वादी नं0 5 व 6 का कोई हक व हिस्सा नही है। शेष तथ्य जिस प्रकार से दर्ज है। गलत होने से अस्वीकार है। आवेदक का यह कथन गलत है कि अनावेदक की नियम खराब है जो सामाजिक जिम्मेदारियों को नही निभाता है बल्कि अनावेदक/उत्तरदाता तमाम सामाजिक जिम्मेदारियों का निवर्हन करता है। आवेदक की नियत खराब होने के कारण दौराने वाद गलत राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर माता बिदामी देवी से अपने पक्ष में हकतर्कनामा निष्पादित करवा लिया। आवेदक का यह कथन गलत है कि ऑर्डर की अवहेलना की है बल्कि उत्तरदाता माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मानपूर्वक पालन करता है। आवेदक ने संपूर्ण प्रा0 पत्र में ऐसा तथ्य दर्ज किया है कि उत्तरदाता ने किस प्रकार से माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है। आवेदक ने प्रा0 पत्र में सभी काश्तकारों का पक्षकार नही बनाया है बाला बाला ही गलत आधारें पर प्रा0 पत्र पेश किया है। आवेदक ने उत्तरदाता के हैरान परेशान करेन की लिए उक्त प्रा0 पत्र पेश किया है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जबाबदेही पेश होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अनावेदक अपने 1/7 हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने पर अमादा है। उक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध में न्यायालय द्वारा स्टे ले रखा है जिसकी अनावेदक लगातार अवहेलना कर रहा है। अतः अनावेदक झाबरराम के कब्जे काश्त की भमि को कुर्क कर राज हक मे लिया जाकर रिसिवर नियुक्त किया जावे। वकील अनावेदक ने जबाब बहस मे कथन किया कि उक्त विवादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्ज है तथा अनावेदक अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है तथा न्यायालय के किसी प्रकार

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

के आदेश की अवहेलना अनावेदक द्वारा नही की जा रही है। अनावेदक द्वारा उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किये जाने हेतु काउण्टर क्लेम पेश कर रखा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। आवेदक की मुख्य आपत्ति विवादग्रस्त भूमि में 1/7 हिस्सा जो अनावेदक झाबरराम के कब्जे काश्त काश्त में है को लेकर है जिसे आवेदक राजहक में लिया जाकर रिसिवर नियुक्त करवाना चाहता है। किसी भी भूमि को राजहक में लिया जाना एक कठोर निर्णय है जो कि ऐसी स्थिति में लिया जाता है जब किसी विवादग्रस्त भूमि के कब्जे को लेकर अत्यधिक विवाद हो तथा खुन–खराबा होने की संभावना हो तथा अत्यधिक अंशाति की स्थिति हो। इस संबंध में आवेदक की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज व प्रथम सूचना रिपोर्ट पेश नही किया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि उक्त विवादग्रस्त भूमि के मौके पर ऐसी स्थिति हो बल्कि आवेदक को केवल मात्र कथन है कि अनावेदक न्यायालय के स्टे ऑर्डर की परवाह नही कर रहा है इसलिए उसके कब्जे काश्त की जमीन कुर्क की जाकर रिसीवर नियुक्त किया जाये चूंकि आवेदक ने इसके संबंध में न्यायालय में अवमानना का प्रा0 पत्र पेश कर रखा है जो साक्ष्य के स्तर पर विचाराधीन है इसलिए न्यायालय की अवमानना के संबंध में निर्णय उस पत्रावली में होना है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

–::आदेश::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अं0 आ0 212(2) आर.टी.एक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/7/24

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ